भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001

सत्यमेव जयते

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र सं0 8बी/एच.पी./09/86/2021/एफ.सी./191

दिनांक: 29/07/2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

Dy. No. 1131
Date 2.8.21

विषय: **Diversion of 0.3253 ha of forest land in favour of Jal Shakti Vibhag, for the Augmentation of Sewerage Scheme to Mandi Town and providing Sewerage facility to adjoining villages of Mandi Town, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Others/123920/2021)**

सन्दर्भः नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48–5288/2020 (एफ.सी.ए.) दिनांक 14.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए), हि0प्र0 के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **Diversion of 0.3253 ha of forest land in favour of Jal Shakti Vibhag, for the Augmentation of Sewerage Scheme to Mandi Town and providing Sewerage facility to adjoining villages of Mandi Town, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः
   क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 650 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.650 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
   ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं geo-coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.):–
   (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं

5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.3253 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में रोपित कर Greenery को maintain करने के बावत् undertaking प्रस्तुत किया जाएगा।
7. राज्य सरकार एफआरए, 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित annexures के साथ इस कार्यालय में विधिवत स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत करेगी।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 मे वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत् भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।
9. राज्य सरकार द्वारा पार्ट–5 में uploaded recommendation (संस्तुति) हस्ताक्षरित है, परन्तु उसपर "recommended" नहीं लिखा गया है। अतः राज्य सरकार संशोधित recommendation (संस्तुति) पार्ट–5 में अपलोड करेगी जिसमें "recommended" लिखा हो।
10. राज्य सरकार पार्ट–1 के पैरा–H में पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी को स्पष्ट करेगी।
11. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
12. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. आदेश पत्रावली।

(सत्य प्रकाश नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी

**OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,**
**MANDI FOREST DIVISION, MANDI , HP 175001**
**Phone & Fax 01905-235360, e-mail-dfomandi@gmail.com**

**No./RK./**7585 **Dated**-21-01-2025

Office of the Executive Engineer, Dy. No. 3191, Date 27/1/25, I&PH Division, Mandi (H.P.)

Assistant Engineer, Dy. No. 1972, Date 27.1.2025, Jal Shakti ... Mandi

**To**

**Executive Engineer,**
**Jal Shakti Division, Mandi**
**District Mandi HP**

FIR Patwari (R) AE

**Subject :-** **Diversion of 0.3253 ha of Forest Land in favour of Jal Shakti Vibhag, for the Augmentation of Sewerage Scheme to Mandi Town and providing sewerage facility to adjoining villages of Mandi Town, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi H.P.**

Sir,

Kindly refer to your office letter No./Jal Shakti DM/2022/12375-76 dated/03.01.2024 on the subject cited above.

In this connection it is intimated that vide letter under reference demand letter under CA NPV and departmental Charges were sent to your office. But Nodal officer has rejected the demand letter and directed to prepare the NPV Bill as per current rates. The revised demand letter under CA , NPV and departmental charges are tabulated as under. You are therefore requested to deposited the following amount under heads given and intimate the same to this office, so that the proposal could be moved to competent authority for final approval under FCA, 1980.

AE Mandi for n/a

| S.No | Particular | Amount | Remarks: - Payment may be made as per detail given below. |
|---|---|---|---|
| 1. | Compensatory Afforestation | 553917 | Amount to be deposited in Adhoc CAMPA through online portal and generated Challan in original be submitted to this office. |
| 2 | NPV | 326995 | Note :-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें की जमा की गई सभी निधियां ( CA, NPV & Penal NPV etc.) को वेबपोर्टल पर online Generated किये गये चालान के माध्यम से जमा किये जाये अन्य माध्यमों से जमा की गई धन राशी सैध्यान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप मे मान्य नहीं होगी1 |
| | Total | 880912/- | |
| 4 | Department Charges @17% | 96935/- | Under Miscellaneous Head 0406-Sub Head 18 Forest Remittances, Revenue of DCF, Mandi. |

In addition to the above, the compliance of conditions imposed vide above refer reference may also be reported point wise to this office through online portal so that further action could be taken into the matter accordingly.

Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Himachal Pradesh
Jal Shakti Vibhag
No. EE-JSD-MND-WA-FCA-2025-13986 dated-27-01-025
Copy forwarded to Assistant Engineer Jal Shakti sub division No1 Mandi for information and necessary action.

Superintendent Gr.-II
Jal Shakti Divn. Mandi

**4. Schedule of Plantation Programme as per approved cost model for 1 ha. Block plantation with 500 tall plants per ha.**

Detail of breakup of requirement of funds for CA plantation (block Plantation) for the **diversion of 0.3253 ha of forest land for the augmentation of Sewerage Scheme for Mandi Town and providng sewerage facility to its adjoining villages of Mandi Town, Tehsil Sadar, Mandi H.P under the jurisdiction of Mandi Forest Division** is as under:-

| | Particular of works | Approved Rate 500 Tall Plants/Ha. | Cost of per plant | Plants (in numbers) | Total amount of 100 Plants |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Survey, Demarcation & Fencing | 34600 | 69.2 | 650 | 44980 |
| B | Planting | 1,33,400/- | 266.8 | 650 | 173420 |
| | | | | **Total ( A+B)** | **218400** |
| C | **Maintenance** | | | | |
| | 1st Year | 9500/- | 19 | 650 | 12350 |
| | 2nd Year | 4800/- | 9.6 | 650 | 6240 |
| | 3rd Year | 4800/- | 9.6 | 650 | 6240 |
| | 4th Year | 2900/- | 5.8 | 650 | 3770 |
| | 5th Year | 2900/- | 5.8 | 650 | 3770 |
| | 6th Year | 2000/- | 4 | 650 | 2600 |
| | 7th Year | 2000/- | 4 | 650 | 2600 |
| | 8th Year | 2000/- | 4 | 650 | 2600 |
| | 9th Year | 2000/- | 4 | 650 | 2600 |
| | 10th Year | 2000/- | 4 | 650 | 2600 |
| | | | | **Total-C** | **45370** |
| | | | | **Total (A+B+C)** | **263770** |
| D | | | | | **263770** |
| | Increase ( 100%) | | | | **527540** |
| | **Total** | | | | **26377** |
| E | Contingency @ 5% of all above. | | | | **553917** |
| | **Total** | | | | **96935** |
| F | Departmental charges@ 17.5% | | | | **650852** |
| | **Grand Total** | | | | |

**1. Technical Detail:-**

**Technical detail of compensatory afforestation is as under:-**

(a) General detail :- The area shall be closed to improve the vegetation cover in the locality to enhance the moisture and water table.

(b) Spacemen:-Pits of size 90x90x90cm.

(c) Species:-Broad leave.

(d) Plantation Method:-Pit planting method.

(e) Soil & moisture conservation works:-Small scale engineering works shall be carried out for the

(f) Protection :- RCC fence post fencing & people participation.

(g) Proposed Monitoring Mechanism:-As per guidelines.

**Deputy Conservator of Forests,**
**Mandi Forest Division, Mandi. H.P**

## MANDI FOREST DIVISION

NET PRESENT VALUE FOR DIVERISON OF 0.3253 HA OF FOREST LAND IN FAVOR OF JAL SHAKTI VIBHAG , FOR THE AUGMENTATION OF SEWERAGE SCHEME TO MANDI TOWN AND PROVIDING SEWERAGE FACILITY TO ADJOINING VILLAGES OF MANDI TOWN, WITHIN THE JURISDICTION OF MANDI FOREST DIVISION, DISTRICT MANDI HP (ONLINE PROPOSAL FP/HP/Others/123920/2021)

| Sr. no. | Name of Scheme/Project | Forest land proposed to be diverted (in ha) | Eco-Value Class and Density | Rate of NPV as per decision of Supreme Court of India date 23.3.2008 | Amount involved |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIVERISON OF 0.3253 HA OF FOREST LAND IN FAVOR OF JAL SHAKTI VIBHAG , FOR THE AUGMENTATION OF SEWERAGE SCHEME TO MANDI TOWN AND PROVIDING SEWERAGE FACILITY TO ADJOINING VILLAGES OF MANDI TOWN, WITHIN THE JURISDICTION OF MANDI FOREST DIVISION, DISTRICT MANDI HP | 0.3253 | Eco-value class V Density =0 | 1005210/- | 326995/- |

**Deputy Conservator of Forests,**
**Mandi Forest Division Mandi**